

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2002—कार्तिक 9, शक 1924

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/2001/खाद्य/29.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का संख्यांक 68) की धारा 9 की उपधारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर की स्थापना करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 5-10/2001/खाद्य/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव

Raipur, the 31st October 2002

NOTIFICATION

No. 5-10/2001/Food/29.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (b) of Section 9 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government hereby constitutes Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PANKAJ DWIVEDI, Principal Secretary.